

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उ० प्र० जल निगम, सहारनपुर।

ईधरी पेयजल योजना

मल्टी सेक्टोरियल ड्वलपमेंट प्रोग्राम (एम०एस०डी०पी०)

हस्तान्तरण प्रपत्र

1. योजना के कार्यों का विवरण—

मल्टी सेक्टोरियल ड्वलपमेंट प्रोग्राम एम०एस०डी०पी० के अन्तर्गत विकास खण्ड बलियाखेड़ी की ग्राम पंचायत ईधरी पेयजल योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ किया गया। योजना में अवर जलाशय, 125 किली. 12 मी. स्टेजिंग, 1 नग नलकूप, 1 नग पम्प हाउस, वितरण प्रणाली 4.693 किमी., राइजिंग मेन एवं बाउण्ड्री वाल के कार्य प्रस्तावित थे। योजना के सभी कार्य पूर्ण कर योजना माह अगस्त 2019 में जनोपयोगी कर दी गयी है।

इस योजना द्वारा ग्राम पंचायत जगत में शुद्ध पेयजल आपूर्ति विगत 3 माह से सुचारू रूप से की जा रही है। वर्तमान में योजना पूर्ण रूप से जनोपयोगी है।

क्र सं०	कार्य का विवरण	मात्रा
(अ)– सिविल कार्य—		
1.	अवर जलाशय (125 किली. 12 मी० स्टेजिंग)	1 नग
2.	पम्पहाउस कम क्लोरोनोम	1 नग
3.	राइजिंग मेन डी.आई.के-9, 100 एम.एम. व्यास	43.00 मी.
4.	वितरण प्रणाली—	
	63 एमएम व्यास	3737.40 मीटर
	75 एमएम व्यास	203.40 मीटर
	90 एमएम व्यास	36.00 मीटर
	110 एमएम व्यास	294.00 मीटर
	140 एमएम व्यास	444.80 मीटर
	160 एमएम व्यास	468.10 मीटर
		योग— 5183.70 मीटर

5.	स्लूस बाल्व	100 एमएम व्यास	3 नग
6.	बाउण्डी वाल	72.20 मीटर	
7.	ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज		1 नग
8.	स्टैण्ड पोस्ट		8 नग
9.	फायर हाइड्रन्ट		1 नग

(ब)– पानी के रिसाव को दूर करने, जलकल की आय को बढ़ाने एवं पानी की शुद्धता बनाये रखने हेतु आवश्यक सुझाव—

1. निजी संयोजन केवल मीटर संयोजन के द्वारा ही दिये जायें।
2. योजना पर पानी इकट्ठा करने की क्षमता पर्याप्त हैं, इसीलिए पेयजल आपूर्ति निश्चित समयानुसार की जानी चाहिये जिससे कि स्टैण्ड पोस्ट से पानी की बर्बादी रोकी जा सके।
3. जल नलिकायें, बाल्व फिटिंग्स, फायरहाइड्रेन्ट्स की निश्चित अवधि के अन्दर जांच की जानी चाहिये तथा अगर उनमें कोई कमी है तो तुरन्त ठीक कर देना चाहिये।
4. सार्वजनिक जल स्तम्भ जहां तक संभव हो उनको कम ही रखा जाये क्योंकि पानी की बर्बादी का मुख्य स्रोत जल स्तम्भ ही होते हैं। जल स्तम्भों को टोटी युक्त ही रखा जाये।
5. पानी का शुल्क समय समय पर पुनरीक्षित करते रहना चाहिये जिससे कि व्यय के अनुपात में आय की बढ़ोत्तरी हो जाये। व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से पानी की दरें अधिक ली जायें तथा उनके संयोजन बिना मीटर के न किये जायें।
6. समय समय पर रकावर बाल्व के द्वारा पाइप लाइन की सफाई कराते रहना चाहिए।
7. एयर बाल्व कार्यशील रखें जायें।
8. उचित व नियमित रूप से लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाना चाहिये तथा इसकी मात्रा 0.20 पीपीएम होनी चाहिये।
9. निजी संयोजन केवल रजिस्टर्ड प्लम्बर द्वारा ही कराये जायें।
10. समस्त संयोजन 15 एमएम साइज के जी.आई. पाइप के माध्यम से फैरल द्वारा ही दिये जायें।
11. कोई भी अतिरिक्त जल नलिकायें सीवर/ताल में न डाली जायें।
12. पम्पों को न ज्यादा वोल्टेज तथा न कम वोल्टेज पर चलायां जाये। इनका संचालन न्यूनतम 370 वोल्टेज के दरम्यान किया जाये। ऐसा न करने पर पम्पों को हानि पहुंच सकती है। संचालन के समय बोल्ट मीटर व एम्पियर मीटर की रीडिंग को लॉग बुक में प्रविष्ट अवश्य की जाये।

(स)- रखरखाव हेतु कार्यक्रम-

1. सामान्य-वितरण प्रणाली एवं अन्य पाइपों के रख रखाव में इस बात का ध्यान रखा जाना नितांत आवश्यक है कि पानी का दुरुपयोग किसी भी प्रकार न हो। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाये कि पानी कहां से व्यर्थ बह हो रहा है तथा उसको किस प्रकार रोका जाये तथा भविष्य में इसकी उत्पत्ति न हों। समय समय पर पाइप लाइनों की सफाई का भी ध्यान रखना नितांत आवश्यक है।
2. व्यर्थ पानी की मात्रा का ज्ञान करना— पानी के व्यर्थ होने में मुख्य रूप से निम्न कारण हो सकते हैं—अबर जलाशय में लीकेज होना, पाइप फट जाना, ज्वाइंट ठीक प्रकार न होना, फैरूल का जोड ठीक न होना, रसूस वाल्व्स में ग्लेण्ड एवं वाशर इत्यादि का कट जाना। बिना मीटर के संयोजन पर पानी की टॉटियों के हमेशा खुली होने के कारण पानी का दुरुपयोग सम्भव है। पाइपों में लीकेज होने पर तुरन्त ठीक कराना चाहिये।
3. जलाशय की सफाई इत्यादि का कार्य प्रत्येक 6 महीने बाद एक बार अवश्य कर लेना चाहिये। सफाई उस समय की जाये, जब जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिये जलाशय के नजदीक जो वाईपास प्रबन्ध है उसके द्वारा पेयजल आपूर्ति निरन्तर की जानी चाहिये।
4. निजी संयोजन देने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार स्वीकृत करा लेना चाहिये। संयोजन देने से पूर्व पानी की गुणता की जांच की जाये एवं पानी का दबाव विभिन्न स्थानों पर जांच लेना चाहिये। आय व्यय का लेखा ठीक प्रकार से रखा जाये।

सारांश- उपरोक्त समर्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये अगर जल सम्पूर्ति योजना का रख रखाव ठीक प्रकार से नियमों का अनुपालन, निजी संयोजन केवल फैरूल द्वारा एवं वाटर मीटर लगाकर प्रदान करना आय को समय से एकत्रित करना, किसी भी लीकेज को तुरन्त ठीक करना इत्यादि नियमित किये जायें तो योजना पूर्ण रूप से लाभकारी होगी। किसी भी तकनीकी राय के लिये ०.०५% जल निगम की सेवायें उपलब्ध ही रहेंगी।

हस्तान्तरणकर्ता

(अफजल)

ग्राम प्रधान-
लाय ग्रुप्प एचीयू ईधरी
५० ए० योल्याखडा (५०००)

(मिलन शर्मा)

ग्राम विकास अधिकारी

११/११/१९
योग्य पंचायत
५०५०-लायाखडा (सहारनपुर)

हस्तान्तरणकर्ता

(सोविल कुमार)

सहारनपुर ०५०५०, परियोजना अभियन्ता
निर्माण इकाई, ०५०५० जल निगम,
सहारनपुर।

(वेदपाल)

२३/११/२०१९